

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक सीडर/2025/9488

वीजसीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 05/12/25

प्रार्थी
1. बाबूराम पुत्र सामाराम जाति माली निवासी लालाणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अचलाराम पुत्र खेताराम वगैरा जाति जाट निवासी बाकाणी सारणों की ढाणी, गोलिया जेतमाल तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 508/2025

दिनांक-26/11/2025

आदेश

उपरोक्त प्रकरण मौजा लालाणियों की ढाणी पटवार हल्का बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1643/849 रकबा 0.6637 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 1644/849 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 840 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, मुनि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के नटनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षर एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

दिनांक- 05-12-25

क्रमांक :- सीडर/2025/9489-9492

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कुडला तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी बाबूराम पुत्र सामाराम जाति माली निवासी लालाणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अचलाराम पुत्र खेताराम वगैरा जाति जाट निवासी बाकाणी सारणों की ढाणी, गोलिया जेतमाल तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी

बाड़मेर

